

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम - राजनीति विज्ञान
पाठ 36 : लोक शिकायत और निवारण तंत्र

कार्यपत्रक – 36

- Q.1 "शिकायत निवारण" मुख्य रूप से नागरिकों और उपभोक्ताओं से शिकायतों की प्राप्ति और प्रसंस्करण को कवर करता है, इस कथन के संदर्भ में अपने शब्दों में शिकायत के निवारण के महत्व को लिखिए।
- Q.2 भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की भूमिका के विषय में अपने शब्दों में लिखिए।
- Q.3 भारत सरकार में शिकायत निवारण की संगठनात्मक संरचना को अपने शब्दों में समझाइए।
- Q.4 इस विषय में जानकारी एकत्र करिए कि निवारण के बाद, क्या शिकायत को बिना विवरण के बंद किए जाने के बारे में आगे पत्राचार के लिए फिर से खोला जा सकता है, अगर हा तो उसकी क्या प्रक्रिया है।
- Q.5 आपके पास उपलब्ध स्रोत से मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण की जानकारी एकत्र करिए एवं अपनी जानकारी के लिए लिखिए।
- Q.6 किस तरह की शिकायतों को विभाग द्वारा निवारण के लिए नहीं लिया जाता है उनकी जानकारी एकत्र कर के अपनी सूचना के लिए एक सूचीबद्ध कीजिए।
- Q.7 राज्य सरकार से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की भूमिका का अपने शब्दों में लिखिए।
- Q.8 पारंपरिक शिकायत निवारण तंत्र के विफल होने के कारणों को अपने शब्दों में संक्षिप्त में लिखिए।
- Q.9 केंद्र और विभिन्न राज्यों में सतर्कता आयोगों की स्थापना के लिए क्या कारण है उनको अपने शब्दों में लिखिए।
- Q.10 "सरकार के मंत्रियों या सचिवों के प्रशासनिक कृत्यों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं" इस कथन के प्रकाश में लोकायुक्त की भूमिका और जिम्मेदारियों को अपने शब्दों में लिखिए।